दिनांक 16 फरवरी, 2009 को एसाइड की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

प्रतिभागियों की सूची संलग्न है ।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए श्री आर गोपालन, अपर सचिव ने इस चरण पर एसाइड स्कीम के केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत उपलब्ध निधि के बारे में सूचना दी । वाणिज्य सचिव ने विभिन्न अभिकरणों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि निधि की कमी के कारण विभिन्न अभिकरणों द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत अपेक्षा हेतु निधि जारी करना संभव नहीं होगा और उन्हें उस वास्तविक राशि की सूचना देनी चाहिए जो वे इस वित्त वर्ष के अंत तक व्यय कर पाएंगे । वाणिज्य सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि एक बार ई सी, एसाइड द्वारा परियोजना को अनुमोदित किए जाने के बाद निधि जारी करने के लिए ई सी का पुनः अनुमोदन अपेक्षित नहीं है । विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एक-एक करके परियोजनाओं पर विचार किया गया था और निम्नलिखित निर्णय लिए गए थेः-

क. नई परियोजनाएं (पूर्वोत्तर क्षेत्र)

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	अभिकरण	परियोजना	कुल लागत	एसाइड के अंतर्गत मांगा गया अंशदान	निर्णय
1	त्रिपुरा सरकार	भू-सीमाशुल्क स्टेशन, रांगना बाजार के विकास हेतु अतिरिक्त कार्य	375.73	375.73	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक आस्थगित ।
2	त्रिपुरा सरकार	बोधजंग नगर में रबड़ पार्क **(लागत वृद्धि)**	2300.00 (शुरूआत में 700 लाख रूपए, 1600 लाख रूपए की वृद्धि)	460.00 (शुरूआत में 140 लाख रूपए, 320 लाख रूपए की वृद्धि)	कुल लागत के 20 प्रतिशत अर्थात 460 लाख रूपए के रूप में एसाइड स्कीम के अंतर्गत अंशदान के साथ 2300 लाख रूपए की लागत के साथ नई परियोजना के रूप में परियोजना अनुमोदित । 140 लाख रूपए जारी किए जा चुके हैं । शेष 320 लाख रूपए जारी करने का निर्णय लिया गया था । परियोजना का शेष 80 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से दिया जाएगा ।
3	सिक्किम सरकार	नाथूला में अवसंरचना विकास **(लागत वृद्धि)**	1644.17 (शुरूआत में 1354.51 लाख रूपए)	1644.17 (शुरूआत में 1342 लाख रूपए, 302.17 लाख रूपए की वृद्धि)	1644.17 लाख रूपये की संशोधित लागत पर परियोजना अनुमोदित की गई थी । मांग, राज्य

					सरकार द्वारा शेष राशि का उपयोग किए जाने पर अगले वित्त वर्ष के दौरान निधि जारी की जाएगी । लागत में किसी और वृद्धि को केन्द्रीय संघटक से पूरा नहीं किया जाएगा ।
4	नागालैंड सरकार	आवांग्खू में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आई टी सी)	1160.00	1044.00	एफ टी (ई ए) की सलाह के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने तक आस्थगित ।

ख. भू-सीमाशुल्क स्टेशनों से संबंधित नई परियोजनाएं

क्र. सं.	अभिकरण	परियोजना	कुल लागत	एसाइड के अंतर्गत मांगा गया अंशदान	निर्णय
1	पश्चिम बंगाल सरकार	फुलबाड़ी में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	1403.00	871.85	अनुमोदित । चालू वित्त वर्ष के दौरान 300 लाख रूपए जारी किए जाएंगे ।
2	पश्चिम बंगाल सरकार	महादीपुर में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	415.11	415.11	अनुमोदित । चालू वित्त वर्ष के दौरान 200 लाख रूपए जारी किए जाएंगे ।
3	पश्चिम बंगाल सरकार	हिल्ली में भू-सीमाशुल्क स्टेशन का विकास	773.00	654.00	अनुमोदित । चालू वित्त वर्ष के दौरान 300 लाख रूपए जारी किए जाएंगे ।

ग. नई परियोजनाएं (अन्य)

क्र. सं.	अभिकरण	परियोजना	कुल लागत	एसाइड के अंतर्गत मांगा गया अंशदान	निर्णय
1	कांडला एस ई जेड	टाइप-I प्रकार के 24 मकानों को गिराना एवं उनका पुनर्निर्माण ।	213.00	213.00	अनुमोदित । चालू वित्त वर्ष के दौरान 50 लाख रूपए जारी किए जाएंगे ।
2	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम	पीतमपुर (इंदौर) एस ई जेड में अवसंरचना विकास	691.47	691.47	एसाइड से 500 लाख रूपये के अंशदान के साथ परियोजना अनुमोदित की गई थी । चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 लाख रूपए जारी किए जाएंगे ।
3	नोएडा एस ई जेड	एन एस ई जेड में मौजूदा सुरक्षा सड़क का सुदृढ़ीकरण	116.00	116.00	अनुमोदित । एन एस ई जेड द्वारा टेंडर देने की प्रक्रिया के पूरे होने की सूचना देने के बाद निधि जारी की जाएगी ।
4	नोएडा एस ई जेड	4 किलोमीटर तक मौजूदा बिटुमिनस	136.00	136.00	आस्थगित

		सड़क को आर सी सी सड़क में बदलना			
5	नोएडा एस ई जेड	33/11 के वी नए सब स्टेशन का निर्माण	721.25	721.25	परियोजना अनुमोदित की गई थी । एन एस ई जेड द्वारा सूचित अपेक्षा के अनुसार निधि जारी की जाएगी ।
6	सीप्ज एस ई जेड	सीप्ज परिसर में मै0 इंटरगोल्ड तक संपर्क सड़क बनाते हुए मै0 सी जी आई से मै0 तारा अल्टिमो तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण	338.51	304.66	संयुक्त सचिव (एन के जी)/विकास आयुक्त सीप्ज ने उल्लेख किया कि प्रथम चरण में समस्या के समाधान के लिए 1.20 मीटर तक बिटुमिनस सड़क खंड को ऊपर उठाया जाना तथा नाले की मरम्मत किया जाना अपेक्षित होगा । विकास आयुक्त ने सुझाव दिया कि उन्होंने अनंतिम रूप से संशोधित अनुमान लगाया है जो कि लगभग 280 लाख रूपये है । ई सी ने निर्णय लिया कि एसाइड स्कीम से 90 प्रतिशत अंशदान के साथ सैद्धांतिक रूप से परियोजना अनुमोदित की जाती है । विकास आयुक्त द्वारा न्यूनतम अपेक्षा के अनुमानों की गहन जांच की जाएगी । विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा वाणिज्य विभाग के विचारार्थ संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए जाने पर निधि जारी किए जाने के संबंध में फाइल पर निर्णय लिया जाएगा ।
7	सीप्ज एस ई जेड	जी एंड जे भवन संख्या II एवं III की मरम्मत	503.61	503.61	150 रूपए की लागत पर भवन संख्या II के संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया था । अगले वित्त वर्ष के दौरान निधि जारी की जाएगी ।
8	सीप्ज एस ई जेड	अग्निशमन इंजन, एम्बुलेंस तथा 24 घंटे कार्मिकों के साथ अग्निशमन स्टेशन की स्थापना	520.00	520.00	निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमोदित: (i) एसाइड निधि का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा । (ii) निधि अगले वित्त वर्ष के दौरान जारी की जाएगी । (iii) प्रचालन संबंधी लागत को प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाएगा ।
9	सीप्ज एस ई जेड	निगरानी के प्रयोजनार्थ सीप्ज के भीतर चार वॉच टॉवरों की स्थापना	63.66	63.66	अनुमोदित । सीप्ज से मांग प्राप्त होने पर निधि जारी की जाएगी ।

घ. जारी परियोजनाएं (अन्य)

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	अभिकरण	परियोजना	कुल लागत	जारी की गई राशि	निर्णय
1	उत्तराखंड सरकार	देहरादून में अत्यधिक महत्वपूर्ण द्रव निष्कर्षण इकाई (एस सी एफ ई) की स्थापना	240.11	100.00	यह निर्णय लिया गया था कि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा टेंडर देने आदि की शुरूआत की जाएगी और निर्गत राशि का उपयोग किए जाने के बाद आवश्यकता के आधार पर 140.11 लाख रूपये की शेष राशि की मांग की जाएगी ।
2	कांडला एस ई जेड	प्रशासनिक कार्यालय भवन का निर्माण	282.00	150.00	चालू वित्त वर्ष के दौरान 30.00 लाख रूपये जारी करने का निर्णय लिया गया था ।
3	कांडला एस ई जेड	विस्तार क्षेत्र का विकास	2734.50	2059.50	चालू वित्त वर्ष के दौरान 90.00 लाख रूपये जारी करने का निर्णय लिया गया था ।

ड. विकास आयुक्त, सीप्ज ने किसी परियोजना के लिए उन्हें जारी की गई राशि के साथ-साथ 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति से संबंधित एक विशिष्ट मुद्दे की ओर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने अनुरोध किया कि ब्याज सहित प्रतिपूर्ति की मांग करने के बजाय विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले निर्गम में उसका समायोजन किया जाए । यह स्पष्ट किया गया था कि विकास आयुक्त, सीप्ज द्वारा इस पहलू पर वाणिज्य विभाग को एक प्रस्तुतीकरण दिया जाए ताकि आई एफ डी के परामर्श से फाइल पर उसकी जांच की जा सके ।

च. ई सी के कार्योत्तर अनुमोदन/सूचनार्थ परियोजनाएं

फाइल पर अनुमोदित निम्नलिखित परियोजनाओं को उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

1. बड्डी व्यापार केन्द्र की स्थापना

बड्डी बरोतोवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बी बी एन डी ए) ने इस क्षेत्र से निर्यात संवर्धन के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड्डी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में व्यापार केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । प्रस्तावित केन्द्र से उद्योग को जानकारी की भागीदारी करने तथा निर्यात के बारे में जागरूकता लाने में सहायता मिलेगी ।

परियोजना के निम्नलिखित घटक हैं :- प्रदर्शनी हॉल (2), सम्मेलन कक्ष (2), मुक्ताकाश रंगमंच, कार्यालय स्थल, प्रसाधन कक्ष/पैन्ट्री एवं पार्किंग क्षेत्रों तथा हरित क्षेत्र का विकास । परियोजना की कुल लागत **1081 लाख रूपए** है । आई टी पी ओ ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी । कुल लागत के 50 प्रतिशत अर्थात **540 लाख रूपए** की सहायता के साथ फाइल पर इस परियोजना को अनुमोदित किया गया था । यह राशि इस वर्ष जारी की गई है । **हिमाचल प्रदेश सरकार की नई परियोजना और 540 लाख रूपए की निधि जारी करने के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

2. प्राग्पुर चौकी से अदानी पत्तन, मुंद्रा (गुजरात) अवसंरचना विकास तक सड़क का निर्माण

यह परियोजना मुंद्रा पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 क से जोड़ने के लिए लागत भागीदारी आधार पर प्राग्पुर से अदानी पत्तन, मुंद्रा (गुजरात) तक एक सड़क (9.5 किमी.) के निर्माण से संबंधित है ताकि मुंद्रा पत्तन तक भारी यातायात को अत्यधिक जनसंख्या वाले मुंद्रा शहर से अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सके । **26 करोड़ रूपये** की कुल लागत तथा एसाइड से 50 प्रतिशत सहायता (अर्थात **13 करोड़ रूपये**), अदानी समूह एवं गुजरात समुद्री बोर्ड से 25-25 प्रतिशत योगदान के साथ इस परियोजना को फाइल पर अनुमोदित किया गया है । चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमोदित सहायता का 50 प्रतिशत जारी करने का निर्णय लिया गया था । तथापि चूंकि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना है, अतः अब तक कोई राशि संस्वीकृत नहीं की गई है । **गुजरात सरकार की नई परियोजना के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है ।**

3. छिंदवाड़ा में मसाला पार्क की स्थापना हेतु अतिरिक्त सहायता

मसाला बोर्ड द्वारा छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) में मसाला पार्क की स्थापना की परियोजना को उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 16/8/2007 की बैठक में अनुमोदित किया गया था । परियोजना की कुल लागत 995 लाख रूपए रहने का अनुमान लगाया गया था । भूमि लागत के लिए 100 लाख रूपए का वहन मसाला बोर्ड द्वारा किया जाना था और शेष 895 लाख रूपये के लिए एसाइड के केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया था । मसाला बोर्ड ने लागत वृद्धि के कारण 18.60 करोड़ रूपए की संशोधित लागत को अनुमोदित किए जाने का अनुरोध किया था । भूमि, प्रचालन-पूर्व व्ययों आदि पर व्यय को छोड़ते हुए **1598.60 लाख रूपए** की सीमा तक फाइल पर अनुरोध को सहमति दी गई थी । चूंकि 895 लाख रूपए पहले ही जारी किए जा चुके थे, **706.60 लाख रूपए** की शेष राशि इस वर्ष जारी की गई है । **मसाला बोर्ड की परियोजना की लागत वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तपोषण तथा 706.60 लाख रूपए के निर्गम के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

4. एम्पीडा द्वारा साझा प्रसंस्करण-पूर्व केन्द्रों की स्थापना

ई पी (एम पी) ने केरल में शक्तिकुलंगारा और अम्बालापुजा में साझा प्रसंस्करण-पूर्व केन्द्रों (सी पी सी) की स्थापना हेतु एम्पीडा से प्राप्त प्रस्ताव अग्रेषित किया था । सी पी सी का उद्देश्य लघु श्रिम्पों, जिनका देश से श्रिम्पों के कुल निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, के लिए साझा प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराना है । शक्तिकुलंगारा और अम्बालापुजा में सी पी सी की कुल लागत क्रमशः 280 लाख रूपए और 306 लाख रूपए है । फाइल पर परियोजना के लिए एसाइड के अंतर्गत **526 लाख रूपए** (शक्तिकुलंगारा के लिए 280 लाख रूपए और अम्बालापुजा के लिए 246 लाख रूपए) अनुमोदित किए गए हैं । चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित राशि का 50 प्रतिशत **अर्थात 263 लाख रूपए** जारी कर दिए गए हैं । **एम्पीडा की नई परियोजना तथा 263 लाख रूपए के निर्गम हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

5. नाथूला में अवसंरचना विकास (व्यापार मार्ट)

दिनांक 8 मार्च, 2007 को आयोजित ई सी की बैठक में सिक्किम सरकार द्वारा नाथूला सीमा पर अवसंरचना विकास के व्यापक प्रस्ताव पर विचार किया गया था और 1342.58 लाख रूपए की कुल सहायता के साथ प्रस्ताव के तीन घटकों अर्थात कैफेटेरिया, पार्किंग क्षेत्र एवं समेकित जांच चौकी को अनुमोदित किया गया था । शेष घटकों के लिए ई सी ने इच्छा प्रकट की थी कि सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि द्वारा नाथूला सीमा के विकास के लिए राइट्स द्वारा तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान के साथ एक प्रस्तुतीकरण दिया जाए । सिक्किम सरकार के प्रतिनिधियों ने 1 अक्तूबर, 2008 को प्रस्तुतीकरण दिया था । प्रस्तुतीकरण के दौरान राइट्स द्वारा पुष्टि की गई थी कि सिक्किम सरकार का प्रस्ताव नाथूला सीमा के अवसंरचना विकास हेतु उनके द्वारा किए गए अध्ययन के जांच परिणामों के अनुरूप है । तत्पश्चात प्रस्ताव के व्यापार मार्ट संघटक को **850.36 लाख रूपए** की कुल लागत के साथ फाइल पर अनुमोदित किया गया था । अनुमोदित राशि का 30 प्रतिशत **(255 लाख रूपए)** इस वर्ष जारी किया जा चुका है । **सिक्किम सरकार की नई परियोजना - घटक तथा 255 लाख रूपए के निर्गम हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

6. नियंत्रण रेखा (जम्मू एवं कश्मीर) पर अवसंरचना विकास

वाणिज्य सचिव के साथ जम्मू एवं कश्मीर के माननीय राज्यपाल के सचिव की बैठक में यह उल्लेख किया गया था कि सलामाबाद (उरी) तथा चक्कन-दा-बाग (पुंछ) में नियंत्रण रेखा व्यापार शुरू करने के लिए न्यूनतम अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु 5 करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे । तत्पश्चात उक्त एल ओ सी बिंदुओं पर व्यापार सुविधा केन्द्रों के लिए फाइल पर **2.00 करोड़ रूपये** अनुमोदित किए गए हैं । यह राशि जारी की जा चुकी है । राज्य सरकार से विस्तृत लागत अनुमान मांगे गए हैं । **जम्मू एवं कश्मीर सरकार की नई परियोजना तथा 200 लाख रूपए के निर्गम हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

7. पम्पौर (जम्मू एवं कश्मीर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र

एसाइड संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा 16 अगस्त, 2007 को आयोजित बैठक में पम्पौर (जम्मू एवं कश्मीर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया था । परियोजना के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डी पी आर तैयार करने के लिए आई टी पी ओ को 50 लाख रूपए जारी किए गए थे । जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सूचित किया था कि परियोजना की लागत 40 करोड़ रूपए होगी और 30 करोड़ रूपए के एसाइड अनुदान के अतिरिक्त राशि उनके द्वारा प्रदान की जाएगी । इस परियोजना पर 5 अगस्त, 2008 को आयोजित एसाइड संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में विचार किया गया था और परियोजना के लिए 30 करोड़ रूपए की राशि अनुमोदित की गई थी । यह भी निर्णय लिया गया था कि आई टी पी ओ द्वारा 2008-09 के दौरान निधि की अपेक्षा के संबंध में एक रिपोर्ट दी जाएगी और टेंडर देने के चरण के बाद उक्त राशि जारी की जाएगी । परियोजना की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 26 सितम्बर, 2008 को संयुक्त सचिव (एन के जी) तथा सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग), जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बीच एक बैठक हुई थी । बैठक के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि चूंकि उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निगम, जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उपक्रम को निष्पादन अभिकरण के रूप में अभिज्ञात किया था, अतः टेंडर देने की आवश्यकता नहीं थी । जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वित्त वर्ष के दौरान 5.00 करोड़ रूपए की अपेक्षा का उल्लेख किया था । राज्य नोडल अभिकरण को **5.00 करोड़ रूपये** जारी किए जा चुके हैं । **पूर्व उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा यथाअनुमोदित टेंडर देने की अपेक्षा में परिवर्तन करने के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

8. चेन्नै तथा कोलकाता में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मसाला बोर्ड का प्रस्ताव

कोलकाता तथा चेन्नै में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए **11.00 करोड़ रूपए** (क्रमशः 5 करोड़ रूपए और 6 करोड़ रूपए) की मांग करते हुए मसाला बोर्ड के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । मसाला बोर्ड को पहले संबंधित राज्य सरकारों से परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण करने तथा राज्य सरकार की भागीदारी का पता लगाने जिसके लिए मसाला बोर्ड संबंधित राज्यों की राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियों (एसएलईपीसी) से संपर्क कर सकता है, की सलाह दी गई थी । चेन्नै तथा कोलकाता में प्रयोगशालाओं के महत्व पर विचार करते हुए बागान प्रभाग ने सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव को अनुमोदित करने तथा चालू वर्ष के दौरान **25 लाख रूपए** की सांकेतिक राशि जारी करने का अनुरोध किया था । उपर्युक्त को देखते हुए प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है और चालू वर्ष के दौरान **25 लाख रूपए** की सांकेतिक राशि जारी की गई है । शेष राशि आगामी वर्षों में जारी की जाएगी । **मसाला बोर्ड की नई परियोजनाओं तथा 25 लाख रूपए के निर्गम हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था । ई सी द्वारा परियोजनाओं के लिए एसाइड के अंशदान की सीमा के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा ।**

9. नोएडा एसईजेड द्वारा व्यापार इकाइयों के लिए अलग ब्लॉक के निर्माण की लागत में कमी

व्यापार इकाइयों के लिए अलग ब्लॉक के निर्माण के लिए नोएडा एस ई जेड की परियोजना को 256 लाख रूपये की कुल सहायता के साथ एसाइड संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा 1.6.2005 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था, यह राशि बाद में संशोधित करके 456 लाख रूपये कर दी गई थी । 200 लाख रूपये तथा 256 लाख रूपये की दो किश्तों में एन एस ई जेड को समग्र राशि जारी की जा चुकी है । एन एस ई जेड ने सूचित किया है कि कार्य के विनिर्देशनों में परिवर्तन के कारण परियोजना के निष्पादन अभिकरण, मै0 एन बी सी सी लिमिटेड ने परियोजना की लागत **456 लाख रूपए से घटाकर 384.66 लाख रूपए** कर दी है । एन एस ई जेड ने केवल 384.66 लाख रूपए की राशि का आहरण किया है । इस प्रकार 71.34 लाख रूपये की बचत हुई है जिसका एन एस ई जेड ने सी पी ए ओ से आहरण नहीं किया है । उक्त परियोजना पूरी हो चुकी है और एन एस ई जेड द्वारा 384.66 लाख रूपये के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं । वित्त प्रभाग ने ई सी के सूचनार्थ इस परिवर्तन को उनके समक्ष रखे जाने की अभ्युक्ति की है । **नोएडा एस ई जेड की परियोजना की लागत में कमी के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

10. आर ओ बी दादरी के लागत पैटर्न में परिवर्तन

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जी एन आई डी ए) के दादरी (ग्रेटर नोएडा) में रेल ओवर ब्रिज के प्रस्ताव को मूल रूप से वर्ष 2000-2001 के दौरान सी आई बी के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था । वित्तपोषण के निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार 45 करोड़ रूपये की कुल लागत के साथ 8.3.2007 को आयोजित ई सी की बैठक में संशोधित परियोजना अनुमोदित की गई थीः

एसाइड का केन्द्रीय घटक	12.50	करोड़ रूपये
एसाइड का राज्य घटक	11.25	करोड़ रूपये
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	11.25	करोड़ रूपये
कॉनकोर	10.00	करोड़ रूपये

एसाइड के केन्द्रीय घटक के अंतर्गत 12.50 करोड़ रूपए में से अब तक 6.50 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं । दिनांक 5 अगस्त, 2008 को आयोजित ई सी की बैठक के निर्णय के अनुसार विकास आयुक्त, एन एस ई जेड और राज्य सरकार द्वारा जी एन आई डी ए से परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का सत्यापन किया जाना था । रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं । अब तक केवल 10 प्रतिशत प्रगति हुई है । जी एन आई डी ए द्वारा भूमि के अधिग्रहण के बावजूद किसानों द्वारा कार्य बाधित किया गया है जो अपनी भूमि के लिए बेहतर प्रतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं । किसानों को मनाने का प्रयास जारी है । इस दौरान पूर्व-मध्य रेलवे ने प्रस्तावित समर्पित फ्रेट कॉरीडोर को देखते हुए ट्रैक के लिए ऊँचाई संबंधी संस्वीकृति को 6.67 मी0 से बढ़ाकर 8.14 मी0 कर दिया है । परिणामस्वरूप परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है । इस संबंध में एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है । भूमि अधिग्रहण की समग्र प्रक्रिया फरवरी, 2009 तक पूरी हो जाने की संभावना है । परियोजना के दिसम्बर, 2009 तक पूरे होने की आशा है ।

यह भी सूचित किया गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12.9.2007 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड की बैठक में इस शर्त के साथ परियोजना को अनुमोदित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी । पूर्व में एसाइड के राज्य संघटक के अंतर्गत प्रस्तावित 11.25 करोड़ रूपये का अंशदान अब जी एन आई डी ए द्वारा दिया जाएगा जिससे उनका कुल अंशदान बढ़कर 22.50 करोड़ रूपए हो गया है । एसाइड के केन्द्रीय संघटक और कॉनकोर के अंतर्गत अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं होगा । **जी एन आई डी ए की परियोजना के परिवर्तित लागत पैटर्न के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया था ।**

छ. अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई थी ।

अनुबंध -I

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2009 को आयोजित एसाइड स्कीम संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) की बैठक में प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	प्रतिभागियों का नाम	पद/संगठन
1	श्री जी के पिल्लै	वाणिज्य सचिव
2.	श्री आर गोपालन	अपर सचिव
3.	श्री नीरज के गुप्ता	संयुक्त सचिव
4.	श्री राजीव खेर	संयुक्त सचिव
5.	श्री वी डी आलम	निदेशक (वित्त)
6.	श्री अनिल बाम्बा	निदेशक
7.	सुश्री किरण पुरी	निदेशक
8.	श्री एम आर शर्मा	निदेशक
9.	श्री डी के वर्मा	अवर सचिव
10.	श्री साजन पीटर	अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड
11.	सुश्री अनीता अग्निहोत्री	विकास आयुक्त, सीप्ज
12.	श्री भास्कर खुल्बे	सलाहकार, पश्चिम बंगाल सरकार
13.	श्री रवि एस सक्सेना	विकास आयुक्त, के एस ई जेड
14.	श्री सी पी एस बख्शी	जे डी सी, एन एस ई जेड
15.	डॉ0 राजेन्द्र चौहान	औद्योगिक सलाहकार, हिमाचल प्रदेश सरकार
16.	डॉ0 हेमा लोहानी	वैज्ञानिक, एच आर डी आई, देहरादून
17.	श्री डी के भल्ला	रेजिडेंट आयुक्त, नागालैंड
18.	श्री नीरज मंडाला	एस आई डी सी, मध्य प्रदेश
19.	श्री आर के अग्रवाल	संयुक्त निदेशक, मुख्यालय डी जी बी आर

सं0 13/10/2008-राज्य प्रकोष्ठ
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

दिनांकः 20 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः एसाइड स्कीम संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) की बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को श्री जी के पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2009 को सम्मेलन कक्ष सं0 141, उद्योग भवन में आयोजित एसाइड स्कीम संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति (ई सी) की बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

हस्ता/-
(डी के वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23063311

सेवा में,
संलग्न सूची के अनुसार

प्रतिलिपिः-

वाणिज्य सचिव के पीपीएस/अपर सचिव(आरजी) के पीपीएस/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पीपीएस/अपर सचिव (पीकेसी)/संयुक्त सचिव (एनकेजी)/संयुक्त सचिव (आरके) संयुक्त सचिव (एएम)/संयुक्त सचिव (बीएसएस)/संयुक्त सचिव (डीएस)/संयुक्त सचिव (पीकेडी)/निदेशक (वीडीए)/निदेशक (एकेबी) के पीएस